न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 245 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. जेठाराम पुत्र मदाराम 2. जुगाराम पुत्र मदाराम निवासी– पीथासर, तहसील बापिणी, जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बापिणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश क्रमांक प्र.गां.स. / 2021 / 370 दिनांक 06.12.2021 जो उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक प्र.गां.स. / 2021 / 370 दिनांक 06.12.2021 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता द्वारा श्री हिमताराम पुत्र मेगाराम निवासी– पीथासर की ओर से दिनांक 10.12.2021 को केविएट पेश किया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने केविएटर पक्ष को इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के आधार पर उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केविएट अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में इंगित किया कि अपीलान्ट भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से उन्हें भी अपील पेश करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है। अधिनस्थ कार्यवाही में जो राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया है जो कि रेस्पो0 केवियटकर्ता की कृषि भूमि में से होकर गुजरता है ऐसे में वह भी प्रभावित व्यक्ति है। हमने दोनों अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन करने के उपरान्त एवं न्याय की दृष्टि से दोनों पक्षों को

अपना–अपना पक्ष रखने की अनुमति देना उचित मानते हुए अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर उनको एवं केविएटर अधिवक्ता की भी सुना गया।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीथासर में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकीन रास्ता घोषित किया जावें। जिसके तहत ख0सं0 977 में 0.1335 हैक्टर, ख0सं0 906 में से 0.2145 हैक्टर, ख0सं0 910 में से 0.0595 व 0.0728 हैक्टर, ख0सं0 966 में से 0.0728 हैक्टर, ख0सं0 912 में से 0.1906 हैक्टर, ख0सं0 955 में से 0.2428 हैक्टर भूमि आती है। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 06.12.21 को रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित कर दिया है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण ख0सं0 977 के खातेदार है जिनके द्वारा दिनांक 29.11.2021 को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता दर्ज नहीं किये जाने का निवेदन किया साथ ही मौके पर कोई रास्ता नहीं चलना बताया।

5. अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक भूल की है क्योंकि धारा 131 व 136 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी नहीं किये गये तथा सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिसके कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके ऐसे में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त बिना सहमति के अपीलार्थीगण की भूमि को गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस कारण से भी आलौच्य आदेश अपाप्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे।

6. प्रत्युतर में केविएट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कदीमी रास्तें का रकबा सम्भावित अपीलान्टगण के खाते मे दर्ज रखते हुए रकबा काश्तकार की खातेदारी में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर राजस्व रेकर्ड में ख0सं0 1156/977 रकबा 0.1335 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने तथा राजस्व नक्श में तरमीम की जा चुकी है रास्ता कदीमी है व सेटलमेन्ट के पूर्व से चला आ रहा है।

7. ऐसे में न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में किसी पक्षकार/अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना के मध्यनजर मेरे द्वारा यह केविएट पेश किया गया है जिन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठाासीन अधिकारी के द्वारा ग्राम पीथासर में वर्णित रकबा भूमि के मौके पर जाकर हम सभी खसरान के खातेदारान की सहमति ली जाकर ही अपीलाधीन आदेश में वर्णित रकबा भूमि को गैर मुमकीन रास्ते घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के निर्देश पारित किये गये है जो विधि अनुकूल व उचित है जो बहाल रखा जावें।

8. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा हम सभी खसरान के खातेदारान को पक्षकार संस्थित नहीं कर बाले–बाले ही यह अपील पेश कर दी गई है जबकि उक्त आदेश पारित करवाने में ग्राम पंचायत एवं हम सभी खातेदारान की सहमति दी गई थी, ऐसे में अपील सुनवाई योग्य नहीं है। उक्त खसरान भूमि में से पूर्व से संचालित कदीमी रास्ते को हम सभी खातेदार एवं अन्य ग्रामीण वर्षो से उपयोग/उपभोग करते हुए आ रहे है एवं आमजन की सुविधा को देखते हुए तहसीलदार महोदय की ओर से इन खसरो में चल रहे कदीमी रास्ते को स्थाई रूप से रास्ता घोषित करवाने एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करवाने का अनुरोध अधिनस्थ न्ययाालय के समक्ष किये जाने पर मौके की स्थिति ज्ञात करने के उपरान्त विधिक निर्णय लिया गया है जिसे बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

9. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है

कि वे आदेश में वर्णित ख0सं0 977 में 0.1335 हैक्टर, ख0सं0 906 में से 0.2145 हैक्टर, ख0सं0 910 में से 0.0595 व 0.0728 हैक्टर, ख0सं0 966 में से 0.0728 हैक्टर, ख0सं0 912 में से 0.1906 हैक्टर, ख0सं0 955 में से 0.2428 हैक्टर भूमि को रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है क्योंकि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरासंख्या 977 का रेकर्डेड खातेदार है।

10. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अपीलान्ट के खसरा रकबा भूमि के सम्बन्ध में उन्हें अपना पक्ष रखने व सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलान्ट की रकबा भूमि के सम्बन्ध में उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,